न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 373/2026

अनवान : –

1. सीता राम पुत्र बीरबल जाति नाई निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।

– **वादी**

बनाम्

1. परेमश्वरी पत्नि बीरबल राम निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा हरियाणा
2. धापी उर्फ बिमला पुत्री तेजाराम जाति नाई निवासी मलवानी हाल निवासी खैरमपुर तहसील व जिला हिसार हरियाणा
3. कृष्ण कुमार पुत्र धापी उर्फ बिमला पत्नि बलवन्त सिंह जाति नाई निवासी मलवानी हाल निवासी खैरमपुर तहसील व जिला हिसार हरियाणा
4. अंग्रेजसिंह पुत्र धापी उर्फ बिमला पत्नि बलवन्त सिंह जाति नाई निवासी मलवानी हाल निवासी खैरमपुर तहसील व जिला हिसार हरियाणा
5. रेखा रानी पुत्री धापी उर्फ बिमला पत्नि बलवन्त सिंह जाति नाई निवासी मलवानी हाल निवासी खैरमपुर तहसील व जिला हिसार हरियाणा
6. राजबाल पुत्री परेमश्वरी पत्नि बीरबलराम जाति नाई निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा हरियाणा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 26/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 135/107 के प.न. 335/349 मु.न. 9 के किला नं. 25/1 की 0.0380 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 25/2 की 0.2150 हैक्टर भूमि, प.न. 335/350 मु.न. 24 के किला नं. 5/1 की 0.0380 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 5/2 की 0.2150 हैक्टर भूमि, एवं प.न. 336/349 मु.न. 8 के किला नं. 21 व 22 की 0.5060 हैक्टर भूमि प.न. 336/350 मु.न. 25 के किला नं. 1, 2, 9 की 0.7590 हैक्टर भुमि कुल 9 किता की 1.7710 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 2 एवं वादी की नानी गोमती देवी प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है।

उपरोक्त कृषि भूमि पूर्व में वादी के नाना तेजाराम के नाम दर्ज थी तथा वादी के नाना की फौतदगी के बाद उक्त भूमि उनकी पत्नि एवं पुत्रीया के नाम दर्ज हुई तथा गोमती देवी भी फौत हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 हुये है तथा उनकी कृषि भूमि के वे खातेदार काश्तकार है। वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 जो कि एक ही परिवार के सदस्य है यानि आपस में बहिने एव भाई बहिन है तथा अपने परिवार की उन्नती एवं समृद्धि बनाये रखते हुये है काफी मोह एवं स्नेह होने के कारण प्रतिवादीगण सं. 2 ता 6 ने अपना समस्त हक व हिस्सा बनता है वो हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में परित्याग कर

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दिया है तथा प्रतिवादीगण सं. 2 ता 6 वाद भूमि कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहते है। इसलिए रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 135/107 की कुल 9 किता की 1.7710 हैक्टर भूमि में गोमती देवी एवं धापी का नाम कलमजन करवाकर वादी अकेला 2/3, एवं प्रतिवादी सं. 1 अकेली 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार रहेगा। इन्ही आश्यों की वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 2 एवं वादी की नानी गोमती देवी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उपरोक्त कृषि भूमि पूर्व में वादी के नाना तेजाराम के नाम दर्ज थी तथा वादी के नाना की फौतदगी के बाद उक्त भूमि उनकी पत्नि एवं पुत्रीया के नाम दर्ज हुई तथा गोमती देवी भी फौत हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 हुये है तथा उनकी कृषि भूमि के वे खातेदार काश्तकार है। वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 जो कि एक ही परिवार के सदस्य है यानि आपस में बहिने एव भाई बहिन है तथा अपने परिवार की उन्नती एवं समृद्धि बनाये रखते हुये है काफी मोह एवं स्नेह होने के कारण प्रतिवादीगण सं. 2 ता 6 ने अपना समस्त हक व हिस्सा बनता है वो हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादीगण सं. 2 ता 6 वाद भूमि कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहते है। इसलिए रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खाता सं. 135/107 की कुल 9 किता की 1.7710 हैक्टर भूमि में गोमती देवी एवं धापी का नाम कलमजन करवाकर वादी अकेला 2/3, एवं प्रतिवादी सं. 1 अकेली 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार रहेगा। इन्ही आश्यों की वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादी स0 1 ता 6 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 135/107 के प.न. 335/349 मु.न. 9 के किला नं. 25/1 की 0.0380 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 25/2 की 0.2150 हैक्टर भूमि, प.न. 335/350 मु.न. 24 के किला नं. 5/1 की 0.0380 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 5/2 की 0.2150 हैक्टर भूमि, एवं प.न. 336/349 मु.न. 8 के किला नं. 21 व 22 की 0.5060 हैक्टर भूमि प.न. 336/350 मु.न. 25 के किला नं. 1, 2, 9 की 0.7590 हैक्टर भुमि कुल 9 किता की 1.7710 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 2 एवं वादी की नानी गोमती देवी प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है वादी का कथन है कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 2 एवं वादी की नानी गोमती देवी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उपरोक्त कृषि भूमि पूर्व में वादी के नाना तेजाराम के नाम दर्ज थी तथा वादी के नाना की फौतदगी के बाद उक्त भूमि उनकी पत्नि एवं पुत्रीया के नाम दर्ज हुई तथा गोमती देवी भी फौत हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 हुये है तथा उनकी कृषि भूमि के वे खातेदार काश्तकार है। वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 जो कि एक ही परिवार के सदस्य है यानि आपस में बहिने एव भाई बहिन है तथा अपने परिवार की उन्नती एवं समृद्धि बनाये रखते हुये है काफी मोह एवं स्नेह होने के कारण प्रतिवादीगण सं. 2 ता 6 ने अपना समस्त हक व हिस्सा बनता है वो हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादीगण सं. 2 ता 6 वाद भूमि कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहते है। इसलिए रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 135/107 की कुल 9 किता की 1.7710 हैक्टर भूमि में गोमती देवी एवं धापी का नाम कलमजन करवाकर वादी अकेला 2/3, एवं प्रतिवादी सं. 1 अकेली 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार रहेगा। इन्ही आश्यों की वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है, वादी

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी स0 1 ता 6 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 135/107 की कुल 9 किता की 1.7710 हैक्टर भूमि में गोमती देवी एवं धापी का नाम कलमजन किया जाकर वादी को 2/3 हिस्सा भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 1 को 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 26/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 373/2026

अनवान : –

1. सीता राम पुत्र बीरबल जाति नाई निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।

– वादी

बनाम्

1. परेमश्वरी पत्नि बीरबल राम निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा हरियाणा
2. धापी उर्फ बिमला पुत्री तेजाराम जाति नाई निवासी मलवानी हाल निवासी खैरमपुर तहसील व जिला हिसार हरियाणा
3. कृष्ण कुमार पुत्र धापी उर्फ बिमला पत्नि बलवन्त सिंह जाति नाई निवासी मलवानी हाल निवासी खैरमपुर तहसील व जिला हिसार हरियाणा
4. अंग्रेजसिंह पुत्र धापी उर्फ बिमला पत्नि बलवन्त सिंह जाति नाई निवासी मलवानी हाल निवासी खैरमपुर तहसील व जिला हिसार हरियाणा
5. रेखा रानी पुत्री धापी उर्फ बिमला पत्नि बलवन्त सिंह जाति नाई निवासी मलवानी हाल निवासी खैरमपुर तहसील व जिला हिसार हरियाणा
6. राजबाल पुत्री परेमश्वरी पत्नि बीरबलराम जाति नाई निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा हरियाणा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 373 सन 2026 निर्णय दिनांक 26/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 135/107 की कुल 9 किता की 1.7710 हैक्टर भूमि में गोमती देवी एवं धापी का नाम कलमजन किया जाकर वादी को 2/3 हिस्सा भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 1 को 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर